

वधानसभा सदस्य की अयोग्यता

प्रलिस के लयि:

[प्रथम सूचना रपिरट \(FIR\)](#), वधान सभा सदस्य की अयोग्यता और [नलिंबन](#), संवधान का अनुच्छेद 191, [लोक प्रतनिधित्त्व अधनियम, 1951](#)

मेन्स के लयि:

लोक प्रतनिधित्त्व अधनियम, 1951 का महत्त्व, वधायक की अयोग्यता के लयि वभिनिन आधर

[स्रोत: द हदि](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तमलिनाडु के एक मंत्री को **आय से अधिक संपत्ति** मामले में दोषी ठहराया गया ।

- उच्च न्यायालय का यह नरिणय वर्ष 2011 में संबद्ध मामले में [प्रथम सूचना रपिरट \(FIR\)](#) दर्ज होने के 12 वर्ष उपरांत आया है । मंत्री को अब दोषसदिधि से मुक्ति न मिलने तक अपनी सज़ा के कारण [वधान सभा \(MLA\) के सदस्य](#) के रूप में अयोग्य घोषति कया गया है ।

नोट:

- आय से अधिक संपत्ति का उपयोग भारत में **कसी व्यक्ति की शुद्ध आर्थिक परसिंपत्तियों** का वर्णन करने के लयि कया जाता है जो उनके पास मौजूद परसिंपत्तियों से काफी अधिक है ।
 - यह उनके पास पहले से मौजूद परसिंपत्तियों तथा आय के सभी वधिकि स्रोतों का परकिलन करने के बाद की स्थति को दर्शाता है ।

वधानसभा के सदस्य की अयोग्यता के लयि क्या प्रावधान हैं?

- अनुच्छेद 191:**
 - भारत के संवधान का अनुच्छेद 191 **राज्य वधानसभा** अथवा वधानपरषिद की सदस्यता के लयि अयोग्यता से संबधति है ।
 - कोई व्यक्ति कसी राज्य की वधान सभा या वधान परषिद का सदस्य चुने जाने के लयि और सदस्य होने के लयि अयोग्य होगा-
 - यदि वह भारत सरकार या **पहली अनुसूची** में वनिरिदषिट कसी भी राज्य की सरकार के अधीन कोई **लाभ का पद** धारण करता है, जब तक किवधानमंडल से वधिद्वारा पद धारण करने की छूट नहीं मलि जाती है ।
 - कसी व्यक्ति को सकषम न्यायालय द्वारा **वकृतचित्त** घोषति कर दया जाता है ।
 - यदि वह अनुन्मोचति **दवालया** है ।
 - यदि वह **भारत का नागरकि नहीं** है अथवा उसने स्वेच्छा से कसी वदिशी राज्य की नागरकिता स्वीकार कर ली है अथवा वह कसी वदिशी राज्य के प्रतनिषिठा रखता है अथवा उसका पालन करता है ।
 - यदि वह **संसद द्वारा नरिमति कसी वधिद्वारा अथवा उसके अधीन अयोग्य** घोषति कया जाता है ।
 - संवधान की **दसवीं अनुसूची** के तहत कसी व्यक्ति को **दलबदल** के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है । इसमें चुनाव से पहले अथवा बाद में दल की संबद्धता बदलना शामिल है ।
- लोक प्रतनिधित्व अधनियम (RPA), 1951:**
 - जन प्रतनिधित्व अधनियम, 1951** की धारा 8(1) के अनुसार, **भ्रष्टाचार नवारण अधनियम (PCA), 1988** के तहत अपराध हेतु दोषी ठहराए गए वधायक को दोषसदिधि की तारीख से छह वर्ष के लयि अयोग्य घोषति कया जाना चाहयि, यदि सज़ा जुर्माने तक सीमति है ।
 - हालाँकि यदि कसी वधायक को PCA, 1988 के तहत कसी भी अवधि के कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, तो अधनियम के अनुसार, उसे दोषसदिधि की तथि से कारावास की पूरी अवधितक और रहिई की तथि से छह वर्ष की अतरकि्त अवधि

- तक के लिये अयोग्य ठहराया जाना चाहिये।
- लेकिन **नविवारक नरिध** कानून के तहत कसि वयकृती की हरिसत अयोग्यता नही है।
 - अयोग्यता से केवल तभी बचा जा सकता है जब दोषसदिधि, न की केवल सजा, रोक दी जाए या रद्द कर दी जाए।
 - वयकृती को चुनाव में कुछ चुनावी अपराधों या भ्रष्ट आचरण का दोषी नही पाया जाना चाहिये।
 - वयकृती को भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के लिये सरकारी सेवा से बर्खास्त नही किया गया होना चाहिये।
 - वयकृती को वभिनिन समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने या रशिवतखोरी के अपराध के लिये दोषी नही ठहराया गया हो।
 - वयकृती समय के भीतर अपने चुनाव खर्च का लेखा-जोखा दाखल करने में वफिल नही होना चाहिये।
 - वयकृती को सरकारी ठेकों, कार्यों या सेवाओं में कोई रुचि नही होनी चाहिये।
 - वयकृती को नदिशक या प्रबंध एजेंट नही होना चाहिये और न ही कसि ऐसे नगिम में लाभ का पद धारण करना चाहिये जसिम सरकार की कम-से-कम 25% हसिसेदारी हो।
 - उस वयकृती को असपृश्यता, **दहेज** और सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार व आचरण करने के लिये दंडित नही किया गया होगा।
 - कसि सदस्य की अयोग्यता पर राज्यपाल का नरिणय अंतिम होता है, लेकिन उनहें कार्रवाई करने से पहले चुनाव आयोग की राय लेनी होगी।
 - यदि कोई उच्च न्यायालय दोषसदिधिपर रोक लगा देता है या दोषी सदस्य के पक्ष में अपील का फैसला करता है तो अयोग्यता के नरिणय को वापस लिया जा सकता है।

अयोग्यता नलिंबन से कसि प्रकार भनिन है?

- नलिंबन का अर्थ है की कोई वयकृती कसि कदाचार या नयिमों के उल्लंघन के कारण अस्थायी रूप से अपनी सदस्यता खो देता है।
- लोकसभा में प्रकरिया और कार्य संचालन के नयिमों के नयिम 373, 374, तथा 374A उस सदस्य को पद से हटाने का प्रावधान करते हैं जसिका आचरण "अमर्यादति" है और जो सदन के नयिमों का दुरुपयोग करता है या जानबूझकर उसके कार्य में बाधा डालता है।
 - इन नयिमों के अनुसार अधिकतम नलिंबन "लगातार पाँच बैठकों या शेष सत्र के लिये, जो भी कम हो" है।
- नयिम 255 और 256 के तहत राज्यसभा के लिये अधिकतम नलिंबन भी सत्र के शेष समय से अधिक नही है।
- इसी तरह प्रत्येक राज्य में वधिानसभा संचालन को नयित्ति करने के अपने नयिम हैं, जनिमें वधिायकों के नलिंबन के प्रावधान भी शामिल हैं, जो अधिकतम नलिंबन नरिधारित करते हैं जो सत्र के शेष समय से अधिक नही होना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न.नमिनलखिति में से कौन-सी कसि राज्य के राज्यपाल को दी गई वविकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

- 1- भारत के राष्ट्रपतीको, राष्ट्रपति शासन अधरीपति करने के लिये रिपोर्ट भेजना
- 2- मंत्रियों की नयिकृती करना
- 3- राज्य वधिानमण्डल द्वारा पारित कतपिय वधिायकों को, भारत के राष्ट्रपती के वधिार के लिये आरक्षति करना।
- 4- राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिये नयिम बनाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)